

# कार्यालय: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

Email: cfgiridihcir@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक :- 437 गिरिडीह / दिनांक :- 04-04-2018

प्रेषक,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल,  
गिरिडीह।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल,  
गिरिडीह।

विषय:- मौजा-पहाड़पुर पी0एफ0, थाना-गावां, थाना नं0-164, जिला-गिरिडीह में पहाड़पुर स्टोन डिपोजिट (Deposit) हेतु वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-370 दिनांक-31.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मौजा-पहाड़पुर पी0एफ0, थाना-गावां, थाना नं0-164, जिला-गिरिडीह में पहाड़पुर स्टोन डिपोजिट (Deposit) हेतु 4.856 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा मूलप्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को भेजी गई है। प्रस्ताव के पूर्ण जाँच के क्रम निम्नांकित कमियाँ/त्रुटियाँ पायी गई हैं।

1. प्रस्ताव के साथ वनभूमि की विस्तृत विवरणी (Land Schedule) संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ Total Break-up of Land संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न Part-II में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है तथा Recommendation अधूरा है। (सभी पृष्ठ संलग्न नहीं हैं)।
4. प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं है।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA से संबंधित राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव के साथ Part-II में वृक्षों की संख्या NIL दर्शाया गया है, जबकि Density 0.2 दर्ज है। इस विरोधाभास को स्पष्ट किया जाए।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा detaild note on alternatives examined समर्पित नहीं किये जाने की सूचना है। अतः इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
8. प्रस्ताव के साथ Geo reference Digital Plan in Shape फाईल संलग्न नहीं है।
9. प्रस्तावित स्थल से निकटतम वन्यप्राणी आश्रयणी कितनी दूरी पर अवस्थित है, इसका उल्लेख नहीं है।
10. प्रस्ताव में संलग्न सभी अभिलेखों को संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/अभिप्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित (यथा लागू) नहीं किया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के कारण प्रस्ताव को इस कार्यालय में वापस किया गया है, उपर्युक्त पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण कर अपने मंतव्य के साथ इस कार्यालय पुनः प्रस्ताव समर्पित किया जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,  
(Signature)  
04-418

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर  
भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pecfedjhk@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक-370

राँची, दिनांक 31-03-2018 ।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।  
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

विषय :- मौजा पहाड़पुर पी0एफ0 थाना-गाँवा, थाना नं0-164 जिला-गिरिडीह में  
पहाड़पुर स्टोन डिपोजिट (Deposit) हेतु कुल 4.856 हे0 वनभूमि अपयोजन  
प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का पत्रांक-239 दिनांक-  
19.02.2018

महाराज,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.856 हे0 वनभूमि अपयोजन का  
प्रस्ताव Online तथा मूल Copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। प्रस्ताव की पूर्ण जाँच  
के क्रम में निम्नांकित कमियों/त्रुटियों पाई गई है :-

1. प्रस्ताव के साथ वनभूमि की विस्तृत विवरणी (Land Schedule) संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ Total Break-up of Land संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न Part-II में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर  
नहीं है तथा Recommendation अधूरा है। (सभी पृष्ठ संलग्न नहीं हैं)।
4. प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नहीं  
है।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA से संबंधित राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण  
पत्र संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव के साथ Part-II में वृक्षों की संख्या NIL दर्शाया गया है, जबकि Density 0.2 दर्ज  
है। इस विरोधाभास को स्पष्ट किया जाए।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा detailed note on alternatives examined समर्पित नहीं किये जाने  
की सूचना है। अतः इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
8. प्रस्ताव के साथ Geo reference Digital Plan in Shape फाईल संलग्न नहीं है।
9. प्रस्तावित स्थल से निकटतम वन्यप्राणी आश्रयणी कितनी दूरी पर अवस्थित है, इसका  
उल्लेख नहीं है।
10. प्रस्ताव में संलग्न सभी अभिलेखों को संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा  
सत्यापित/अभिप्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित (यथा लागू) नहीं किया गया है।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के कारण प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करना संभव नहीं है।  
प्रस्ताव की सभी प्रतियाँ मूल रूप में वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त पृच्छित बिन्दुओं का  
निराकरण करके अपने स्पष्ट मन्तव्य के साथ प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय को अविलम्ब  
उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि ससमय राज्य सरकार को प्रस्ताव समंतव्य निर्णय हेतु  
अग्रसारित किया जा सके। कृपया भविष्य में इस प्रकार के अपूर्ण प्रस्ताव कदापि अग्रसारित नहीं किया  
जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

31.03.18  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।